कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

212

दिनांक :– 1.10.2024

आयुक्त महोदय
मेरठ मण्डल, मेरठ।

द्वारा :– जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

विषय :– नगर पालिका परिषद सरधना (मेरठ) की आहूत बोर्ड बैठक दिनांक 17.09.2024 के द्वारा पारित संकल्प की सूचना संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि इस निकाय में दिनांक 17.09.2024 को पालिका पत्रांक मीमो दिनांक 13.09.2024 को पालिका सभागार में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरधना द्वारा बोर्ड बैठक आहूत की गयी थी **(संलग्नक आहूत बोर्ड बैठक का एजेण्डा सूचना)।**

उक्त एजेण्डा प्रस्ताव के एजेण्डा बिन्दु 1, 2, 3, 4 व 5 में प्रस्ताव संख्या 4 में उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–9 संख्या–912 / नौ–9– 24–85ज0 / 05टी0सी0–1 लखनऊ दिनांक 28 जून 2024 की अधिसूचना उ0प्र0 नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2024 की छायाप्रति सदन को उपलब्ध कराते हुए उक्त छायाप्रति में उल्लिखित निर्देशों से सदन को अवगत कराया गया, जिस पर सदन द्वारा एजेण्डा बिन्दु संख्या 4 पर चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त नियमावली स्वीकृति हेतु आगामी बोर्ड बैठक में रखी जाये तत्समय ही इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा तब तक के लिए पूर्व में पंचवर्षीय कर आरोपण अनुसार ग्रहकर व जलकर के कर आरोपण की मांग अनुसार वसूली की कार्यवाही निरन्तर रखी जाये।

तदानुसार बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की सूची आपकी सेवा में सादर प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर–7 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ को उपरोक्त बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं के पारित संकल्प में एजेण्डा बिन्दु संख्या 4 पर बोर्ड द्वारा किये गये प्रस्ताव की सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, मेरठ।
3. उप जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
4. प्रधान लिपिक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बोर्ड बैठक के पारित संकल्प की प्रति पालिका के सूचना पट पर चस्पा व पालिका की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

1/10/2024

आज दिनांक 17.09.2024 को प्रातः 12.00 बजे नगर पालिका परिषद सरधना के सभागार में श्रीमती सबीला बेगम अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, सरधना की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नवत् उपस्थिति रही–

	श्रीमती सबीला बेगम,	अध्यक्ष,
1	श्रीमती अंजली	सदस्य,
2	श्री वीर सिंह	सदस्य,
3	श्रीमती कविता	सदस्य,
4	श्री मुकेश	सदस्य,
5	श्रीमती तनिका जैन	सदस्य,
6	श्रीमती शगुफ्ता	सदस्य,
7	श्री संजय कुमार	सदस्य,
8	श्री शानू जैन	सदस्य,
9	श्रीमती नेहा जैन उर्फ नेहा टाली	सदस्य,
10	श्री राहुल	सदस्य,
11	श्री शकील	सदस्य,
12	श्रीमती दानिस्ता	सदस्य,
13	श्री शहजाद	सदस्य,
14	श्री शाहिद	सदस्य,
15	श्रीमती वसीला उर्फ वशीला	सदस्य,
16	श्रीमती शमीना	सदस्य,
17	श्री मोहम्मद खालिद	सदस्य,
18	श्रीमती फिरदौस	सदस्य,
19	श्रीमती राहत परवीन	सदस्य,
20	श्री फरमान	सदस्य,
21	श्री सलीम	सदस्य,
22	श्री मन्नान	सदस्य,
23	श्री आशीष त्यागी	सदस्य,
24	श्री तारिक हसन	सदस्य,
25	श्री इमरान	सदस्य,

प्रस्ताव संख्या 1 :– गत बैठक की पुष्टि	सदन के समक्ष गत बैठक की पुष्टि हेतु बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराते हुए गत बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से गत बैठक की पुष्टि की गयी ।
प्रस्ताव संख्या 2 :– शासनादेश संख्या 1112/नौ–6–2024–01 न0यो0/2024 दिनांक 23.7.2024 के द्वारा नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं(मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VMY)योजना के अन्तर्गत कार्य कराने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन में उक्त शासनादेश की प्रति सभी सदस्यो को उपलब्ध कराते हुए शासनादेश में उल्लिखित दिशा–निर्देशो को सदन में पढकर सुनाया गया,जिस पर सदन में चर्चा उपरांत शासनादेश में उल्लिखित निर्देश के कम में सर्व सम्मति से 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 तक विजन प्लान के कार्यों को कराने हेतु चर्चा करते हुए कार्यों पर होने वाले व्ययानुमान को निर्धारित कर निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये।

Shahilub.

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष हेतु	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख रू0 में)
1	**वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु**	वार्ड 17 में टाउन हाल रोड पर नगर पालिका परिषद, सरधना कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	300.00
2		वार्ड 17 में टाउन हाल रोड पर नगर पालिका परिसर में टाउन हॉल का निर्माण कार्य।	160.00
3		वार्ड 1 में गुजरान गेट से धनपाल जैन की फैक्ट्री तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य।	40.00
		कुल योग :–	**500.00**
4	**वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु**	वार्ड 9 में नगर पालिका परिषद,सरधना द्वारा आवंटित फड स्थल व समीपस्थ भूमि पर फूड स्ट्रीट हब/रात्रि /साप्ताहिक बाजार का निर्माण कार्य।	260.00
5		नगर पालिका परिषद, सरधना के विभिन्न स्थानों पर ओपन जिम का निर्माण कार्य।	200.00
6		वार्ड 17 में तहसील तिराहे से प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के कोने तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	40.00
		कुल योग :–	**500.00**
7	**वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु**	नगर पालिका परिषद, सरधना में विभिन्न स्थाने पर प्लेस मैकिंग/नगरीय कला सजावट/ स्ट्रीट फर्नीचर लगाये जाने का कार्य।	260.00
8		नगर पालिका परिषद, सरधना के पार्को एवं सीमान्तर्गत विभिन्न स्थानो पर सोलर पार्क बनाये जाने का कार्य।	200.00
9		वार्ड 1 धनपाल जैन की फैक्ट्री से रामतलैया मन्दिर	40.00

Shalini B.

		तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य।	
		कुल योग :—	**500.00**
10	**वित्तीय वर्ष 2027—28 हेतु**	वार्ड 4 मौ0 भाटवाडा में स्थित अम्बेडकर पार्क को थीम पार्क के रूप में विकसित करने का कार्य ।	260.00
11		वार्ड 4 मौ0 भाटवाडा में स्थित अम्बेडकर पार्क के सामने तालाब में वेट लेंड के रूप में विकसित करने का कार्य ।	200.00
12		नगर पालिका परिषद, सरधना में वार्ड 20 ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल से गोमतीनगर की पुलिया तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	40.00
		कुल योग :—	**500.00**
13	**वित्तीय वर्ष 2028—29 हेतु**	कदीम पब्लिक स्कूल की खाली पडी भूमि पर बहुउद्वेश्यीय खेल सुविधा का कार्य ।	200.00
14		वार्ड 9 में बूढा बाबू रोड पर भारतीय स्टेट बैंक के सामने पालिका भूमि पर कैफे/बुक कैफे का निर्माण कार्य।	160.00
15		नगर के विभिन्न स्थानो पर कियॉस्क निर्मित कराने का कार्य	100.00
16		नगर पालिका परिषद, सरधना में वार्ड 9 धन्नी कबाड़ी की दुकान से पंडित मैडिकल स्टोर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य।	40.00
		कुल योग :—	**500.00**

उपरोक्तानुसार अंकन 25 करोड़ के विकास कार्य उपरोक्त वित्तीय वर्षों में विजन प्लान अनुसार स्वीकृत करते हुए स्वीकृत कार्यों के प्रस्ताव शासनादेशानुसार स्वीकृति प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने व विजन प्लान अनुसार विकास कार्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक्शन प्लान के अन्तर्गत कार्य कराने के लिए कार्य का प्राथमिकता के आधार पर निर्धारण करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुए उक्तानुसार कार्यवाही के लिए भी अधिकृत किया गया।

Shahila B.

प्रस्ताव संख्या 3 :– 2 अक्टूबर को गाँधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम कराये जाने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पालिका द्वारा पालिका परिसर में शासन के दिशा–निर्देशों के कम में कार्यक्रम व अन्य व्यवस्थाएं सम्पादित करायी जायें। उक्तानुसार कार्यक्रम एवं व्यवस्थाओं को कराने हेतु सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 4 :– उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–9 संख्या–912/नौ–9–24–85ज0/05टी0सी0–1 लखनऊ दिनांक 28 जून 2024 की अधिसूचना उ0प्र0 नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2024 में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार कर आरोपण हेतु विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–9 संख्या–912/नौ–9–24–85ज0/05टी0सी0–1 लखनऊ दिनांक 28 जून 2024 की अधिसूचना उ0प्र0 नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2024 को लागू करने पर पूर्व बोर्ड बैठक के प्रस्ताव के तारतम्य में पुनः चर्चा हुई चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त नियमावली पर आगामी बोर्ड बैठक में चर्चा हेतु रखा जाये, जिस पर तत्समय निर्णय लिया जायेगा, तब तक के लिए पूर्व में पंच वर्षीय कर आरोपण अनुसार ग्रहकर व जलकर के कर आरोपण की मांग अनुसार वसूली की कार्यवाही निरन्तर रखी जाये।
प्रस्ताव संख्या 5 :– अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	
प्रस्ताव संख्या 5 (1) :– रागिनी कार्यक्रम के भुगतान हेतु सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मेला बूढा बाबू 2024 में रागिनी कार्यक्रम के भुगतान हेतु दिये गये पत्र को पढ़कर सुनाया गया जिस पर सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रागिनी कार्यक्रम में भुगतान शीघ्र अति शीघ्र कराया जाये। बैठक में अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि रागिनी कार्यक्रम में अश्लील नृत्य हुआ था, जिसकी जांच प्रशासनिक स्तर पर प्रचलित है एसी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है। जांच आख्या के निष्कर्ष तक रागिनी कार्यक्रम का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है। जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किस स्तर पर जांच प्रचलित है, ऐसी जानकारी पालिका कार्यालय द्वारा प्राप्त करते हुए जांच के तारतम्य में भुगतान हेतु कार्यवाही की जाये।
प्रस्ताव संख्या 5 (2) :– विकास कार्यों हेतु अल्प अवधि निर्धारित कर निविदा आमंत्रण करने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन को अवगत कराया गया कि नगर में विकास कार्य कराने हेतु शासनादेश संख्या 1319/नौ–9–21–45ज/21 दिनांक 30.06.2021 में मानक संचालन प्रकिया (एस0ओ0पी0) निर्धारित है, जिसमें निर्माण कार्यों को कराने हेतु सामान्य दशा में 40 लाख से कम कार्यों की निविदा अवधि 21 दिन होगी तथा 40 लाख से अधिक के कार्यों की निविदा हेतु अवधि में एक माह का समय रखा जायेगा। यदि अपरिहार्य आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त अवधि को कम करना है तो वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशानुसार तद् विषययक बोर्ड से अनुमति का उल्लेख है। जिस पर सदन में चर्चा हुई सदन

Shahila B.

	द्वारा वर्तमान में विकास कार्यों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे सभी विकास कार्यों को कराने हेतु निर्धारित निविदा समयावधि के स्थान पर 7 दिन की निविदा अवधि निर्धारित सर्वसम्मति से की गयी तथा उक्त अवधि अनुसार निविदा आमंत्रण की कार्यवाही अविलम्ब करते हुए निविदा आमंत्रण करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 5(3) तहसील रोड पर स्थित डम्पिंग ग्राउण्ड में कूडे का निस्तारण कराने हेतु विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में उपस्थित श्री मौ0 फरमान सदस्य द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि तहसील रोड पर स्थित डम्पिंग ग्राउण्ड में कूड़ा अत्यधिक होने के कारण डम्पिंग ग्राउण्ड के समीपस्थ बस्ती में दुर्गंध रहती है तथा मौहल्लावासियों द्वारा कूड़े के निस्तारण हेतु बार-बार मांग की जा रही है, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डम्पिंग ग्राउण्ड में लिगेसी वेस्ट का निस्तारण शीघ्र अति शीघ्र पी0पी0 मोडल/अन्य आवश्यक संसाधनों के अनुसार कार्यवाही कर कार्य करा लिया जाये। उक्तानुसार निविदा आदि की समस्त कार्यवाही हेतु अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 5 (4) :- पालिका कार्यों की सुचारूता हेतु वाहनों की मरम्मत व पालिका कार्यालय हेतु स्टेशनरी पेयजल हेतु सामग्री एंव सक्रमण बीमारीयों की रोकथाम हेतु कीटनाशक दवाएं व सफाई उपकरण आदि क्रय करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में चर्चा हुई कि पालिका के यान्त्रिकी वाहन व रिक्शा ठेली आदि की समय से सर्विस/मरम्मत न होने के कारण आये दिन वाहनों व रिक्शा ठेली आदि में कोई न कोई खराबी होने के कारण पालिका सफाई कार्यों की सुचारूता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार नगर में पेयजल लिकेज आदि की समय से मरम्मत न होने पर उनमें शुद्ध पेयजलापूर्ति की समस्या का सामना करना पडता है तथा इसी प्रकार पालिका कर्मचारियों पर सफाई के पर्याप्त सफाई उपकरण जैसे गमबूट, गलव्स, पंचाग्ले, गैंती आदि पर्याप्त न होने के कारण सफाई की समस्या का सामना करना पड़ता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पालिका के समस्त यान्त्रिकी वाहनों ठेली आदि की मरम्मत का एनूअल मेन्टिनेस के आधार पर पूरे वर्ष के लिए निविदा की कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार पेयजल की सुचारूता हेतु यथा आवश्यक पेयजल सामग्री आपूर्ति कर ली जाये तथा पालिका कर्मचारी हेतु यथा आवश्यक गमबूट ग्लवस व अन्य सफाई उपकरण व कर्मचारियों की वर्दी आदि की आपूर्ति करने के लिए निविदा आदि की कार्यवाही की जाये तथा पालिका कार्यों की सुचारूता हेतु यथा आवश्यक स्टेशनरी क्रय कर ली जाये तथा इसी प्रकार सक्रमण बीमारियों की रोकथाम हेतु कीटनाशक दवाएं व फोगिंग आदि हेतु यथा आवश्यक कीटनाशक दवाएं व कली चूना आदि भी क्रय कर लिया जाये। निविदा की कार्यवाही पूर्ण करने तक यथा आवश्यक मशीनरी आदि व पाईप लाईन लिकेज व अति आवश्यक सफाई उपकरण आवश्यकतानुसार शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में शासनादेश की सीमा तक सीधे कार्य करा लिया जाये अथवा कुटेशन परिधि के अन्तर्गत कार्य अविलम्ब कराया जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

Shabilab.

प्रस्ताव संख्या 5 (5) :– पालिका कार्यालय व बोर्ड बैठक व अभिलेखागार कक्ष में फर्नीचर आदि क्रय करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में सर्वसम्मति से पालिका कार्यालय व नर्व निर्मित अभिलेखागार/स्टोर कक्ष के लिए यथा आवश्यक फर्नीचर व बोर्ड बैठक के लिए यथा आवश्यक कुर्सी फर्नीचर आदि व आगुन्तकों को बैठाने के लिए यथा आवश्यक कुर्सी आदि क्रय करने पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए फर्नीचर क्रय करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 5 (6) :– श्री मुक्तिधाम सेवा ट्रस्ट द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 17.09.2024 अनुसार कार्यवाही पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन के समक्ष श्री मुक्तिधाम सेवा ट्रस्ट दौराला रोड सरधना मेरठ के लैटर हैड दिनांक 17.09.2024 पर श्रीमती कविता सदस्य द्वारा दिये गये पत्र को पढ़कर सुनाया गया, जिसमें दौराला रोड पर स्थित शमशान घाट के रास्ते की नजूल भूमि खसरा संख्या 2905 की पैमाईश एवं निशानदेही एवं अवैध अतिक्रमण/निर्माण ध्वस्त कराकर उक्त रास्ते पर सड़क निर्माण सी0सी0 टाईल व मुख्य द्वार के निर्माण की मांग की गयी। सदन में सर्वसम्मति से उक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 5 (7) :– वीर अब्दुल पार्क की सफाई, लाईटें एवं फव्वारा चालू करवाने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन के समक्ष मुकेश शर्मा, मौ0 फरमान आदि सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्ताव सुनाया गया जिसमें वीर अब्दुल पार्क की सफाई, लाईटें एवं फव्वारा चालू करवाने हेतु मांग की गयी है, जिस पर सदन में उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 5 (8) :– वार्ड सदस्यों द्वारा अपने–अपने वार्ड में विकास कार्य हेतु दिये गये प्रस्ताव पत्रों पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में वार्ड सदस्यों द्वारा अपने अपने वार्ड में दिये गये विकासात्मक कार्यों को सदन के समक्ष पढ़कर सुनाया गया– **श्रीमति कविता, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गया:–** 1– वार्ड 03 में स्थित तीन समाजिक कुओ व लाल कुआ व खारी कुआ आदि नगर के समस्त कुओ का सौर्न्दयकरण कराने का कष्ट करें। 2– पालिका के उपल्बध पुराना टीन शैड को मौहल्ला गढी खटिकान के शिव मन्दिर में समाजिक धार्मिक लोगो के हित हेतु व भजन करने हेतु लगवाया जाये। **श्री वीर सिंह, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गया:–** 1– एक मुख्य रास्ता बिनौली रोड, मेनका के सामने हाजी सराजुदीन मलिक के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण। 2 – हमारे वार्ड के कई जगह खम्बो की जगह लकडी की बल्लिया लगी हुई है, उन्हे हटवाकर खम्बे व पी0वी0सी0 केबिल लगवाये जाये। 3 – हमारे वार्ड की नालियो व गलियो मे चैनल नही है जिसके कारण वाहनो को बहुत दिक्कत होती है। 4 – मेरे धर के सामने सी0सी0 रोड का निर्माण हुआ है

Shahika B.

	जहॉ दो पुलिया नही बनी है वहॉ पर वाहनो को उतरने मे बहुत दिक्कत होती है। **श्री मौ0 इमरान, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः–** मेरे वार्ड में स्थित मौहल्ला आजाद नगर में कबिस्तान मे चारों ओर की दिवारों पर एंगल व कटीलें तारो को लगवाया जाये ताकि अनावश्यक न धुसे तथा रगाई पुताई टावर लाईट व एक मुख्य गेट लगवाने की कृपा करें। **श्री मुकेश, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः–** 1 – वार्ड 04 मे पंचायती चौक की चार दीवारी व भराव व इटर लोकिंग व एक होल व मेन गेट की व्यवस्था करायी गयी। 2 – अम्बेडकर धर्मशाला में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था करायी जाये । 3 – मदन के मकान से लेकर ओमी सैनी के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराया जायें। 4 – चिन्टू के मकान से पदम सैन जैन व उडी बाबा आदी के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । 5 – वार्ड 04 राजीव चप्पल वाले व प्रवीण पटवारी जी के बराबर में इन्टरलोकिंग करायी जाये। 6 – शिव मन्दिर के गेट से हरी के मकान तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराया जाये। 7 –शिव मन्दिर के पीछे राजेश के मकान व धनशयाम के मकान तक आर0सी0सी रोड का निर्माण कार्य कराया जाये। 8 – पंजाबी स्ट्रीट वाली गली मे मदन मास्टर के मकान व गुलशन व रामस्वरूप आदी के मकान तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराया जाए। 9 – वार्ड 04 में शिव मन्दिर के सामने लाल महेन्द्र व मोहित व योगी जी आदि की गली का निर्माण कराया जाए क्योकि गली जर जर हालात में है जिसके कारण गली में आने जाने मे काफी परेशानी का सामना करना पडता है। 10 – वार्ड 04 सडक निर्माण सुंदेश एडवोकेट नाले के पुल से रेखा मेडिकल स्टोर तक आर.0सी0सी0 रोड का निर्माण का कार्य कराया जाए। 11 – वार्ड 04 में जगदीश के मकान से सुभाष नर्सरी तक आर0सी0 रोड का निर्माण कराया जाए । 12 – वार्ड 04 मे दलीत बस्ती नाले के पुल पर फ्रिज लगवाया जाए। 13 – वार्ड 04 शिव मन्दिर पर एक फ्रिज लगवाया जाए।, 14 – वार्ड 04 मे मौ0 भाटवाडा मे विभन्न गलियो मे नाली आदि की मरम्मत करायी जायें। 15 – वार्ड 04 मे मौ0 भाटवाडा मे विभिन्न गलियो मे मरकरी के नए पोइट बनाकर लाईट की व्यवस्था करायी जाए।

Shahid B.

16 – वार्ड 04 मे अम्बेडकर पार्क का सुर्न्दयकरण कराया जाए।
17 – डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क स्थित वार्ड 04 के बराबर मे. नाला कवर कराया जाए।

श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः–

1. मोहल्ला आदर्श नगर में रूपचन्द वाली गली में आर0सी0सी0 का. निर्माण कार्य।
2. मोहल्ला मण्डी चमारान में पिन्टु सरिया वाले की गली में आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।
3. मोहल्ला आादर्शनगर छबडिया रोड पर जल भराव की समस्या का निस्तारण व मिटटी भराव कर सडक उच्चीकरण का कार्य।
4. मोहल्ला प्रभात नगर मे बिनौली रोड से कुलदीप खल वाले तक टाइल्स हटाकर भराव कराकर पुनः सडक निर्माण कार्य।
5. वार्ड मे प्रकाश की उचित व्यवस्था कराई जाये।
6. वार्ड मे सफाई की उचित व्यवस्था की जाये तथा जहा सफाई कर्मचारी नही है वहा पर सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जाये।

श्रीमती दानिस्ता, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः–

1. ऐमी शाह के मकान से ऐनूददीन शाह मकान तक नई सडक का निर्माण कार्य कराया जाये।
2. पीर वाली गली से मस्जिद वाली गली तक सडक का निर्माण कार्य कराया जाये।
3. आशू के मकान से नफीस के मकान तक सडक निर्माण कार्य कराया जाये।
4. इकराम के मकान से बाबू के मकान तक सडक निर्माण कार्य कराया जाये।
5. अली हसन के मकान से नाजिम के मकान तक सडक निर्माण कार्य कराया जाये।
6. इरशाद के मकान के सामने नई सडक का निर्माण कार्य कराया जाये।
7. रफीक के मकान से रहीमू के मकान तक सडक रिपेयरिंग का कार्य कराया जाये।
8. नेशनल स्कूल के बराबर वाली गली का निर्माण कार्य कराया जाये।

श्री शहजाद, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः–

1. नगर की पथ प्रकाश व्यवस्था को दुरूस्त किया जाये।
2. नगर की सफाई व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नगर में आवश्यकतानुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाये।

Shahid

श्री सलीम, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः—

1. वार्ड 21 में हाजी एजाज की बैठक के सामने लगे खराब समरसेबिल को ठीक कराया जाये।
2. चुईयन चाय वाले की दुकान के पास बनी क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराया जाये।

उक्त प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिशासी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में पालिका में राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है जिस कारण उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है, जिस को दृष्टिगत रखते हुए सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मा0 सदस्यों द्वारा दिये गये विकास कार्यों के प्रस्ताव में अति आवश्यक कार्य को चिन्हिंत करते हुए अति आवश्यक कार्य ही राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाये तथा साथ ही साथ सदन में चर्चा उपरान्त सहमति बनी कि नगर में यदि कहीं भी सडक में कोई गडढा अथवा कोई नाली अथवा नाला क्षतिग्रस्त होता है या पेयजलापूर्ति में समसेबिल अथवा कोई समरसेबिल पम्प, पैनल, आदि खराब होता है या समरसेबिल रिबोर/हैण्डपम्पों की रिबोर/मरम्मत की समस्या उत्पन्न होती है या कहीं पर अति आवश्यक निर्माण कराया जाना आवश्यक होता है, तो ऐसे कार्यों को चिन्हिंत करते हुए पालिका अवर अभिंयता से आंगणन बनवाकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त कराया जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए सभा समाप्त की गयी।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)